Site Inspection Report

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A Proposal has been received by this office from Executive Engineer, PWD Gopeshwa (under FCA 1980) of 1.810 ha of Forest Land (1.81ha Civil Soyam Land) for non-forest purpose. The Project envisages transfer of forest land for Construction of Patal Ganga Gandai Motor Road (Length ~~10~~ 05.00 Km) under PWD. The Site Inspection done by D Badrinath forest divison on dated....19/02/2021.....

5.2 On Inspection of the site, It is found that the land required by the user agency is forest area measuring 1.810 ha of Forest Land (1.810 ha Civil Soyam Land).

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in column no-2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project -Yes

5.4 Whether any rare/endangered unique Species of flora and fauna in the area- No

5.5 Whether any Protected Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Monument is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required:- No.

a) The user agency has not violated the provision of forest Conservation act, 1980 and no work has been started without proper sanction- yes.
b) It has been found that the user agency has violated (Conservation) Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.- No.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommendation for acceptance of proposal for diversion of 1.810ha of Forest Lan (1.810 **ha Civil Soyam Land)** for Construction of Patal Ganga to Gandai Motor Road Und PWD.

Place- Gopeshwar
Date- 19/02/2021

Name- (Ashutosh Singh)
Designation-Divisional Forest Officer,
Badrinath Forest Division, Gopeshwar
Office Seal

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना या स्कीम की अवस्थितिः– जनपद चमोली में पातलगंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	1.810 है0
2– पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	सिविल वन भूमि।
3– अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा–	संलग्न ।
(i) वन का प्रकार	सिविल सोयम
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.2
(iii) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षो की परिगणना।	प्रस्ताव में संलग्न।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	प्रस्ताव में संलग्न।
4– भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना नही है, तथा भूगर्भ वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है।
5– वनभूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	0.500 किमी0
6– वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नहीं।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, ब्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणी उपावद्व की जाय)	नही।
(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, ब्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपावद्व की जाय)	नहीं। उक्त परियोजना के निर्माण क्षेत्र से वन्यजी अभ्यारण से निकटतम हवाई दूरी 10 किमी0 से कम तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी0 के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्यजीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपावद्व की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, तो उसके ब्यौरे	नही।

7– क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्व किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ उसका ब्यौरा दें।)	नहीं।
8– पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग–1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचिका भूमि न्यूनतम है।
9– किए गए अतिक्रमण के ब्यौरेः–	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्वातों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तददायी व्यक्ति के विरूद्व की गई कार्यवाही।	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/नहीं)	नहीं।
10– क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के ब्यौरेः–	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	गणाई सिविल सोयम भूमि (3.620है0)।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें।	प्रस्ताव में मानचित्र संलग्न।
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्क्रीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्ययः–	प्राक्कलन के अनुसार।
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तिता के बारे में संवद्व उप वन संरक्षण से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
11– वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हां/नहीं)	नहीं।
12– स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति दी जाती है।

स्थानः– गोपेश्वर।
दिनांक– 19/02/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।